

2/5/2024

पत्रावली पेश हुई । बार-बार अवाक
 लगावारे पर भी पक्षकार व अधिवक्ता
 उपस्थित नहीं हुये । अतः पत्रावली
 अदम हाफरी व अदम पैरवी में
 खारिज की जाकर फैसला सुना हो ।
 नभर ले कर होकर दायिल इफला
 हो ।



उपसचिव अधिकारी
बसेरी (बीरपुर) राज.